न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 101/20 निर्णय दिनांकः– 09-11-2023
(जीसीएमएस संख्या 2020/00111)

1. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद फारूख जाति मुसलमान निवासी नयां कुआं सिटी कोतवाली तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजुवाला जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आज्ञा सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर दिनांक 17–08–1999

उपस्थितः
1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 17–08–1999 जिसके द्वारा अपीलांट आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट सरकारी भूमि के विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1995 को आवंटन अधिकारी के समक्ष उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 8 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 237/61 के किला नम्बर 1 ता 25 बीघा इस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड हेतु आवेदन किया। आवंटन हेतु धरोहर राशि पांच सौ रुपये रसीद सं. 403791/03 दिनांक 30–01–1999 द्वारा जमा कराये। आवंटन अधिकारी ने अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होने के आदेश दिये। किन्तु अपीलांट को उक्त आदेश से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त नहीं होने के कारण वह समय पर सबूत व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करा सका। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश से आवंटन आवेदन खारिज कर दिया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि आवंटन निर्धारित प्रारुप में सभी शर्तो व साक्ष्यों को पूर्ण कर आवंटन अधिकारी को पेश किया गया था। अपीलांट ने आवंटन अधिकारी कार्यालय से आवंटन के बारे में कई बार पूछताछ की किन्तु जानकारी नहीं दी गई। कुछ समय पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र पूगल को राजस्व विभाग में विलय कर दिया गया। तब अपीलांट पटवारी एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के कार्यालय में आवंटन आवेदन की जानकारी करने गया तब अपीलांट को ज्ञान हुआ कि आवंटन आवेदन सबूतों व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया है। इसके बाद अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष आवंटन पुनः बहाल कर राशि जमा कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के यहां सुनवाई के दौरान उक्त रकबा राजस्व तहसील पूगल को परिवर्तित हो गया। जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। जब अपीलांट को इसकी जानकारी हुई तो उसने उपखण्ड अधिकारी पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी पूगल ने क्षेत्राधिकार नहीं होने का कथन करतें हुए आवेदन पर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। तब जाकर अपीलांट ने अभिलेख कार्यालय बीकानेर से नकल प्राप्त की तथा बिना देरी किये अपील पेश कर दी। प्रश्नगत भूमि आज भी आराजीराज पड़ी हुई है तथा अपीलांट राशि जमा कराने के लिए पहले भी तैयार था तथा आज भी है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए आवंटन राशि जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है एवं अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–08–1999 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 18–08–2020 को पेश की गई है जो मियांद बाहर होने से मियांद बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट को सबूत, साक्ष्य व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जिसके कारण आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–08–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्व अपील दिनांक 18–08–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने विशेष आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 8 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 237/61 के किला नम्बर 1 ता 25 बीघा इस तादादी 25 बीधा अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन किया। आवंटन हेतु धरोहर राशि पांच सौ रुपये जमा कराये। आवंटन अधिकारी ने अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होने के लिए दिनांक 09–07–1999 व 07–08–1999 को नोटिस जारी किये। किन्तु यह नोटिस साधारण डाक से भिजवाये गये है किन्तु अपीलांट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन है कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुए। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। चूंकि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए पहले भी तैयार था तथा आज भी है ऐसी स्थिति में न्याय हित में अगर अपीलांट की आवेदित भूमि आराजीराज हो तो अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा कराकर आवंटन की कार्यवाही की जानी न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 17–08–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि रेकार्ड में अगर आराजीराज दर्ज, अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं हो तो अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रती का जॉच करते हुए पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 9/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर